अशासकीय पत्र संख्या–1/शा0/24/2012–1/42/2012
लखनऊः दिनांकः 11 मई, 2012

आहरण एवं वितरण अधिकारी,
पंचायती राज निदेशालय,
लखनऊ।

शासनादेश संख्या–825/33–3–2012–100(10)/2008 दिनांक 08मई, 2012, (छायाप्रति संलग्न) के अन्तर्गत पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी.आर.जी.एफ.) योजनान्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं के क्षमता विकास हेतु भारत सरकार के पत्र संख्या–एन–11019/1042/2011–बी0आर0जी0एफ0, दिनांक 15मार्च, 2012 द्वारा आवंटित धनराशि की वार्षिक योजना 2011–12 के लिए अवमुक्त धनराशि ₹ 12.21 करोड़ को वित्तीय वर्ष 2012–13 में स्वीकृत करते हुए निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0 लखनऊ के निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृत प्रदान की गयी है, जिसका विवरण निम्नप्रकार है:–

अनुदान संख्या–14 (आयोजनागत)

(धनराशि करोड़ रूपये में)

कम सं0	वर्गीकरणवार आवंटित की जा रही धनराशि का विवरण	आवंटित की जा रही धनराशि
1	नान–एस0सी0पी0एस0सी0	9.32
2	एस0टी0एस0पी0	0.01
3	एस0सी0पी0एस0सी0	2.88
	योग–	12.21

(रूपया बारह करोड़ इक्कीस लाख मात्र)

उक्त धनराशि को निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आवंटित की जा रही है:–

1– स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपभोग भारत सरकार द्वारा निर्धारित मार्ग निर्देशिका तथा राज्य सरकार व परियोजना प्रबन्ध इकाई पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम स्तर की अनुमति प्राप्त की जायेगी एवं इसका उपभोग प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

2– शासनादेश संख्या–2832/33–3–2008–335/06 दिनांक 28 दिसम्बर, 2007 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार परियोजना प्रबन्ध इकाई सभी प्रोजेक्ट्स के प्रभावी नियोजन, कियान्वयन व अनुश्रवण के लिए उत्तरदायी होगी तथा उनके मार्गदर्शन, पर्यवेक्षण व निर्देशन में उक्त परियोजनाओं का कियान्वयन किया जायेगा।

3– प्रश्नगत धनराशि को आहरित कर नियमानुसार व्यय किये जाने हेतु परियोजना निदेशक पी.एम.यू. बी.आर.जी.एफ. को उपलब्ध करायी जायेगी। यह धनराशि उच्च शक्ति प्राप्त समिति से अनुमोदित कार्ययोजना पर ही व्यय की जायेगी।

4– स्वीकृत की जा रही धनराशि भारत सरकार द्वारा आवंटित एस0सी0पी0एस0–सी0/एस0टी0एस0पी0/नान–एस0सी0पी0एस0सी0 वार ही व्यय की जाएगी।

आवंटित की जा रही धनराशि ₹ 12.21 करोड़ का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 के अनुदान संख्या–14 के आयोजनागत **लेखाशीर्षक"2575–अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम–**

आयोजनागत–02–पिछड़े क्षेत्र–800–अन्य व्यय–03–पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि पोषित कार्यक्रम–20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या–14 पर अंकित है।

संलग्न–यथोपरि।

(मुरलीधर दुबे)
निदेशक,
पंचायती राज,उ0प्र0।

संख्या 1/शा0/24/1/2012,तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1–परियोजना निदेशक, परियोजना प्रबन्ध इकाई बी.आर.जी.एफ., उ0प्र0 लखनऊ।
2–विशेष सचिव, पंचायती राज अनु0–3, उ0प्र0 शासन।
3–मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4–निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, इलाहाबाद।
5–प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम उ0प्र0, इलाहाबाद।
6–वरिष्ठ उपमहालेखाकार स्थानीय निकाय(लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15–ए, दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ0प्र0, इलाहाबाद–211001
7–तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, नवां तल बापू भवन, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि, उक्त आवंटन विभाग की बेवसाईट पर अपलोड कराने हेतु।

(मो0मुस्तफा अन्सारी)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायती राज,उत्तर प्रदेश।